

1937/13-09-2022



U.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

(Constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987)

To

All the District Judges/Chairpersons,
District Legal Services Authorities,
Uttar Pradesh.

No. ~~3379~~/SLSA- 54/2018(Haider/Ri)

Date: Sept. 12 2022.

Sub: Regarding Enhancement of Fee Structure for the Panel Lawyers engaged in District Legal Services Authorities.

Madam/Sir,

This is to be apprised to your good-selves that, vide approval dated 08-09-2022, Hon'ble the Executive Chairman, UPSLSA has been pleased to enhance the fee structure for the Panel Lawyers, empanelled with District Legal Services Authorities in the Subordinate Courts including Tribunals, in the following manner :-

" B. Subordinate Courts at all level including Tribunals

- i. *Drafting of substantive pleading such as Suit, Matrimonial Proceedings such as Divorce, Maintenance, Custody, Restitution etc., Succession, Probate, Memo of Appeal, Revision, Written Statement, Reply, Rejoinder, Replication- Rs.2,400/-*
- ii. *Drafting of Miscellaneous applications such as stay, bail, direction, and exemption etc. - Rs. 800/- per application subject to maximum of Rs. 1,600/- for all applications.*
- iii. *Appearance - Rs. 1,500/- per effective hearing and Rs. 1,000/- for non-effective hearing subject to a maximum of Rs. 15,000/- (per case)."*

In this regard, you are therefore, requested to get implemented and follow the above mentioned enhanced fee structure for the payment of Panel Lawyers, empanelled with DLSA in your respective district.

With Regards.

Yours faithfully,

(Sanjay Singh-I)
Member Secretary

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर

विज्ञप्ति

माननीय उO प्रO राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र संO- 3035/एसएलएसए.- 21/(ए)/97 दिनांकित 23.09.2025 के अनुपालन में बार एसोसियेशन के समस्त अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर हेतु अधिवक्ताओं का एक पैनल गठित होना है, जिसके लिए 20 पैनल लार्यस का चयन किया जाना है।

उक्त पैनल हेतु वे ही अधिवक्ता आवेदन कर सकते हैं जिनका अनुभव कम से कम तीन वर्ष का हो। आवेदन पत्र पर आवेदक का नाम, अद्यतन फोटो, रजिस्ट्रेशन नम्बर, वृत्तिक अनुभव का प्रमाण पत्र, सिविल, दाण्डिक, वैवाहिक आदि के विवरण सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा करा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 13.11.2025 सायं 05.00 बजे तक है, तथा साक्षात्कार दिनांक- 18.11.2025 को लिया जायेगा।

आवश्यक निर्देश-

समस्त आवेदक माननीय उO प्रO राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा निर्देश तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 का अनुपालन करेंगे।

उम्मीदवार उक्त आवेदन-पत्र के प्रारूप(फार्म) के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं अथवा जिला न्यायालय, गाजीपुर की वेबसाइट- Website-<https://ghazipur.dcourts.gov.in> पर Recruitment ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

दिनांक- 29.10.2025

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
सचिव पूर्णकालिक
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
गाजीपुर।

प्रतिलिपि-

- 1-जिला सूचना अधिकारी, जनपद गाजीपुर, उक्त विज्ञप्ति को समस्त समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 2-सिस्टम ऑफिसर, गाजीपुर, जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 3-केन्द्रीय नाजिर गाजीपुर, सिविल बार एसोसिएशन गाजीपुर, सेंट्रल बार जनपद न्यायालय गाजीपुर, बाह्य न्यायालय सैदपुर, मोहम्मदाबाद व ग्राम न्यायालय जखनियाँ, ग्राम न्यायालय जमानियाँ गाजीपुर, अन्य कार्यालय के नोटिस बोर्डों पर चस्पा कराये।

(पैनल अधिवक्ता के रूप में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

- 1- नाम:
- 2- पिता का नाम: { फोटो }
- 3- पता:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
- 4- दूरभाष संख्या:
- 5- मोबाइल संख्या:
- 6- ई-मेल आईडी:
- 7- शैक्षणिक अर्हताएं:
- 8- व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव:
- 9- तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो:
- 10- पैनल अधिवक्ता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो:
- 11- बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक:
- 12- क्या आपके विरुद्ध किसी जगह अपराधिक मुकदमा पंजिकृत किया गया है, यदि हाँ तो विवरण?
- 13- क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वर्तित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है?

मैं एतद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं पैनल अधिवक्ता के रूप में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देश तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम 2010 का अनुपालन करूंगा। मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

पूर्ण हस्ताक्षर:

दिनांक: